रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/99

REGISTERED NO. DL-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4, 1999 (अग्रहायण 13, 1921)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4, 1999 (AGRAHAYANA 13, 1921)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	881
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	949
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1573
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)।	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1121
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1087
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	4095
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	669
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	881
PART I—Section 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	949
PART I—Section 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	5
PART I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1573
PART II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi Languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—Section 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—Section 3—Sub-section (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—Section 3—Sub Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—Section 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—Section 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	1121
PART III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	1017
PART III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	4095
PART IV—Advertisements and Notices issued by private Individuals and private Bodies	689
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 1999

प्रतिपादन मूल्यांकन प्रमाणीकरण स्कीम

सं० 1-16011/5/99-एच-2 --

1. प्रस्तावना

1.1 यह कि, भवन निर्माण क्षेत्र में परम्परागत सामग्री के विकल्प और/या प्रतिस्थापनाओं के रूप में नई सामग्रियों, उत्पादों, घटकों और निर्माण तकनीकों (जिसे आगे उत्पाद कहा गया है) की प्रक्रिया तेज है और नये उत्पादों के व्यावहारिक प्रयोग को बढ़ावा देने से पूर्व उनके प्रतिपादन का मूल्यांकन करना दिनों दिन आवश्यक होता जा रहा है।

1.2 यह कि, नये उत्पाद भारतीय मानक विशिष्ट और व्यवहार कोटि में नहीं आते हैं और उनके भारतीय मानक तैयार करने से पूर्व यथेष्ट प्रतिपुष्टि करना आवश्यक है।

1.3 यह कि भवन निर्माण क्षेत्र में नये विकास, नवीन भवन सामग्री, घटकों, उत्पादों, वस्तुओं, सामान निर्माण तत्वों तथा जुड़नारों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने और सुधार बनाने बाबत निर्माताओं तथा प्रयोक्ताओं के मार्गदर्शन हेतु सही विकल्प देने की कोई सर्वमान्य राष्ट्रीय प्रणाली नहीं है।

1.4 यह कि, मानक विकसित करने के लिये, प्रयोग-गत प्रतिपादन बाबत प्रयोक्ताओं की प्रतिक्रिया और अनुभव के बारे में एक क्रमबद्ध प्रतिपुष्टि करना आवश्यक है।

1.5 यह कि, क्रमबद्ध तकनीकी खोजों, प्रतिपादन-परीक्षण, स्वतन्त्र मूल्यांकन व आकलन के आधार पर अन्य पक्षीय प्रमाणीकरण जारी करके प्रयोक्ताओं और निर्माताओं का विश्वास जागृत करना और उनके हितों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। अन्य देशों में इसका विकास एवं व्यावहारिक प्रयोग कई दशकों से हो रहा है।

1.6 यह कि, यह भली भांति प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिपादन मूल्यांकन प्रमाणीकरण, भवन और निर्माण के क्षेत्र में नवीन उत्पादों के अनुप्रयोग स्तर में न केवल सुधार करता है, अपितु उनके बारे में अनुभव, जानकारी तथा सूचना की निवेशकर्त्ताओं (स्टेकहोल्डर्स) के बीच प्रसरण करके गैर-पारम्परिक निर्माण उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है।

1.7 अतः अब शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बी० एम० टी० पी० सी०) को भवन निर्माण सेक्टर में सामग्री, घटकों, उत्पादों, यूनिटों, सामान, अन्य निर्माण तत्वों व जुड़नारों के अभीष्ट उपयोग के औचित्य बाबत निष्पक्ष राय देते हुए प्रतिपादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र (पी० ए० सी०) जारी करने के लिये अधिकृत किया है। ऐसे प्रमाणपत्रों में उन स्थितियों का स्पष्ट उल्लेख होगा, जिनके अन्तर्गत उपलब्ध दशाओं में उत्पादों का तय निष्पादन के लिए मूल्यांकन किया गया हो तथा उन अपेक्षित सज्जाओं का निरूपण किया जायेगा, जिनका निर्माण या जुड़नारों के दौरान पालन किया जायेगा।

1.8 इस योजना के अन्तर्गत मूल्यांकन प्रमाणपत्र लेना आदेशात्मक रूप से अनिवार्य नहीं है। नई भवन निर्माण सामग्री/उत्पाद/घटक/निर्माण पद्धति के निर्माता एवं संभरण-कर्त्ता इस प्रमाण पत्र के लिये पूर्णता स्वैच्छिक रूप से आवेदन करेंगे।

2. भवन सामग्री व प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बी० एम० टी० पी० सी०) सहमति बोर्ड

2.1 बी० एम० टी० पी० सी० सहमति बोर्ड (जिसे आगे 'बोर्ड' कहा गया है), जो भारत सरकार, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत कार्य कर रहा है, उन नीति और प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देगा, जो प्रतिपादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र जारी करने के लिये बी एम० टी० पी० सी० द्वारा अपनाई जायेगी। बोर्ड विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में निर्माण उत्पादों के अभीष्ट प्रयोग के लिये आधिकारिक तकनीकी अनुमोदन तथा उपयुक्तता मूल्यांकन प्रमाणपत्र जारी करके भवन निर्माण व संरचना उद्योग का हित साधन करेगा।

2.2 प्रमाणित तथा अनुमोदित प्रक्रिया की मदद से, बोर्ड एक ओर तो डिजाइनकर्त्ताओं और कोटि निर्धारकों, विशिष्ट-कर्त्ताओं और प्रयोक्ताओं और दूसरी ओर इन उत्पादों के

निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लाभ के हेतु नवीन व गैर पारम्परिक वैकल्पिक उत्पादों के समुपयोजन व ग्राह्यता को संभव बनायगा।

2.3 बोर्ड उन नीतियों, प्रक्रियाओं तथा विभिन्न सेवाओं हेतु शुल्क विन्यास को विकसित करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो उत्पादों के निर्माताओं तथा प्रयोक्ताओं दोनों के हित में होगा। भारतीय मानक ब्यूरो तथा भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् दोनों की सहमति से प्रतिपादन, मूल्यांकन प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में मानदण्डों (परिशिष्ट–I में) को ध्यान में रखा जायेगा।

2.4 बोर्ड की संरचना, (परिशिष्ट–II) में केन्द्र राज्य और स्थानीय निकायों, अनुसन्धान एवं विकास संगठनों, वाणिज्य और उद्योग चैम्बरों, शैक्षिक संस्थाओं, व्यावसायिक निकायों, निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सी० आई० डी० सी०), इण्डियन बिल्डिंग कांग्रेस (आई० बी० सी०) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी० पी सी० बी०) इत्यादि के निर्णयकर्ताओं का प्रतिनिधित्व होगा। बोर्ड नये उत्पादों के उन्नयन तथा उनके उपयोग को बढ़ावा देने से सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापों के उत्तरदायित्व लेने के लिए निर्णय ले सकता है।

2.5 बोर्ड का सम्बन्ध मुख्यतः नीति तथा कार्यनीति सम्बन्धी मुद्दों से होगा, जबकि प्रमाणीकरण करने और प्रमाण-पत्र तैयार करने हेतु विस्तृत तकनीकी आकलन तथा मूल्यांकन तकनीकी आकलन समिति द्वारा किया जायेगा, जो बोर्ड के प्रति जवाबदेह होगी। सभी प्रमाणपत्रधारक बोर्ड के पास पंजीकृत होंगे। प्रमाणपत्रधारक जब कभी अपने वितरक/लाइसेंसधारक नियुक्त करेंगे तो उनकी सूचना बोर्ड को देंगे। इनकी सूची बोर्ड के पास उपलब्ध होगी।

2.6 बी० एम० टी० पी० सी० सहमति बोर्ड (एग्रीमेंट बोर्ड) अपने कार्यों के लिए भवन सामग्री प्रौद्योगिकी परिषद् प्रबन्धन बोर्ड (बी० एम० टी० पी० सी० मैनेजमेंट बोर्ड) के प्रति उत्तरदायी होगा। बी० एम० टी० पी० सी० सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित/नियुक्त किये जायेंगे।

3. तकनीकी आकलन समिति (टी० ए० सी०)

3.1 तकनीकी आकलन समिति, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 10 संगठनों के विशेषज्ञ स्थाई सदस्य के रूप में तथा 11 अन्य विशेषज्ञ प्रस्ताव-दर-प्रस्ताव आधार पर विभिन्न निर्माण एजेंसियों, शोध व विकास संस्थाओं, उद्यमियों, स्थानीय निकायों एवं शिक्षण संस्थाओं से आमंत्रित सदस्य के रूप में होंगे, बोर्ड को उसके कार्यकलापों में मदद करेंगे। तकनीकी आकलन समिति का गठन परिशिष्ट–III में है।

3.2 तकनीकी आकलन समिति उत्पादों के अभीष्ट उपयोग के सन्दर्भ में, सुरक्षा (ढांचागत) अग्निरोधक, स्वास्थ्यगत तथा स्वच्छतागत) स्थायित्व, आयु चक्र लागतों, ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरणीय पहलुओं सम्बन्धी जरूरतों के अनुरूप प्रतिपादन हेतु उत्पादों के आकलन की विधियां विकसित करेगा। तकनीकी आकलन समिति आकलन हेतु प्राप्त और कार्रवाई हेतु स्वीकृत प्रत्येक प्रस्ताव के मूल्यांकन हेतु मानदण्ड विकसित करेगी तथा विभिन्न निर्णीत गुणों एवं मानदण्डों के सन्दर्भ में आवश्यक परीक्षण/मूल्यांकन पद्धतियां विकसित करेगा। इन सभी में सम्बन्धित भवन नियमों, राष्ट्रीय भवन कोड तथा राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। पूर्व प्रकाशित और उपलब्ध अन्य विनिर्देशों, परीक्षण पद्धतियों, आकलन विधियों तथा संगत दिशानिर्देशों और आवेदक द्वारा पेश जानकारी को भी ध्यान में रखा जाएगा।

3.3 तकनीकी आकलन समिति मुख्यतः निम्नलिखित कार्य करेगी :

(i) बी० एम० टी० पी० सी० की मूल्यांकन यूनिट की मार्फत भवन उत्पादों के तकनीकी आकलन, मूल्यांकन व अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्राप्त करेगा, उनकी समीक्षा और कार्यवाही करेगा।

(ii) आवेदकों जो कि उत्पाद निर्माता व प्रदाता हो सकते हैं, के साथ विचार-विमर्श तथा आवेदकों द्वारा अपने उत्पादों के निर्माण कार्यों के विभिन्न अनुप्रयोगों में उपादेयता के समर्थन में पेश किये जाने वाले दस्तावेजों की परीक्षण प्रमाणपत्रों, भारतीय दशाओं में भारत तथा अन्य देशों से प्रतिपुष्टि प्रयोग योग्य [illegible] के सन्दर्भ में समीक्षा करेगी।

(iii) आवेदक द्वारा दी गई सूचना/आंकड़ों का तकनीकी दृष्टि से विश्लेषण करेगी।

(iv) प्रतिपादन अपेक्षाओं/मानदण्डों तथा परीक्षण व मूल्यांकन प्रक्रियाओं का व्यापक रूप से तथा प्रत्येक प्रस्ताव के प्रसंग विशेष रूप से निर्धारण करेगी, जो सम्बन्धित विशेषज्ञों के परामर्श से तय किये जायेंगे।

(v) मूल्यांकन यूनिट को निर्देश देगी कि वे प्रस्तावों को परीक्षण/गुणवत्ता निर्धारण व क्षेत्रगत मूल्यांकन हेतु निर्दिष्ट प्रयोगशाला/परीक्षण गृह/केन्द्र तथा मूल्यांकन एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट प्रयोक्ता एजेंसी/परीक्षण यूनिट के पास यथा आवश्यक प्रतिपादन अपेक्षाओं मानदण्डों/परीक्षण प्रक्रियाओं तथा मूल्यांकन पद्धतियों के साथ भेजें।

(vi) ऐसे भवन परियोजना स्थलों, जहां उत्पाद का वास्तविक उपयोग हुआ हो या उपयोग के लिये प्रतिस्थापित किया गया हो, पर प्रतिपुष्टि (फीड बैक/अध्ययन) आरम्भ करने के लिये संगत एजेंसी नियुक्त करेगी।

(vii) मूल्यांकन यूनिट द्वारा पेश मूल्यांकन प्रमाणपत्रों के प्रारूप का अध्ययन जिसमें प्रयोगदशानुसार उत्पाद की उपयोगिता व डिजाइन पैरामीटरों इत्यादि का उल्लेख होगा।

(viii) मूल्यांकन प्रमाणपत्रों के प्रारूप को अन्तिम रूप देने से पूर्व उसकी विषयसामग्री पर उत्पाद, निर्माता/प्रदाता, आवेदक, भवन विनियमन प्राधिकरणों के साथ विचार-विमर्श करेगी।

(ix) मूल्यांकन यूनिट द्वारा तैयार पूर्ण मूल्यांकन प्रमाण-पत्र का अनुमोदन करेगी।

(x) प्रतिपादन मूल्यांकन प्रमाणपत्रों के प्रकाशन, वितरण तथा प्रचार की व्यवस्था करेगी।

(xi) भारतीय मानकों के विकास हेतु अधिकृत भारतीय मानक ब्यूरो को प्रतिपादन अपेक्षाओं वाली भवन सामग्रियों/घटकों/उत्पादों/तकनीकों, विशेषतया के बारे में जानकारी देगी तथा प्रचलित मानकों में यथा अपेक्षाओं संशोधन के लिये अनुरोध करेगी।

(xii) प्रमाणीकरण हेतु विशेषज्ञता तकनीकों/प्रणालियों में प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करेगी तथा इसके लिये सही संगठनों के नाम बतायेगी।

तकनीकी आकलन समिति अपना कोई भी काम मूल्यांकन यूनिट को सौंप सकती है।

4. मूल्यांकन यूनिट

4.1 स्कीम के उद्देश्य की प्राप्ति तथा इसके प्रचालन की सुगमता के लिये बी० एम० टी० पी०-सी० अपने यहां एक मूल्यांकन यूनिट की स्थापना करेगी, जो तकनीकी आकलन समिति द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदण्ड तथा पैरामीटरों के तहत स्कीम कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होगी तथा इस यूनिट की प्राथमिकताएं भिन्न भू-जलवायु दशाओं में उत्पाद के संभावित अनुप्रयोगों के आलोक में उस उत्पाद की प्रतिपादन अपेक्षाओं के विभिन्न अनिवार्य पहलुओं पर ध्यान देने बाबत होगी।

4.2 मूल्यांकन यूनिट आवेदक के अनुरोध पर मूल्यांकन कार्यक्रम की उपयुक्तता पर पहले निर्णय करेगी।

4.3 मूल्यांकन यूनिट अनुसंधान प्रयोगशालाओं, भारतीय मानक ब्यूरो, निर्माण एजेंसियों, परीक्षणशालाओं, उत्पाद तथा घटक निर्माताओं, भवन विनियमन प्राधिकरणों, व्यापार/अनुसंधान संस्थाओं/संघों तथा ऐसे अन्य संगठनों के साथ निकट सम्पर्क रखेगी। यह कामिट यूरो-इंटरनेशनल द्यू बटन (सी० ई० बी०) स्विटजरलैंड, इंटरनेशनल काउंसिल फार बिल्डिंग रिसर्च स्टडीज तथा डाक्यूमेंटेशन (सी०आई०बी०) यू० के० तथा अन्य देशों की प्रमाणीकृत एजेंसियों से भी सम्पर्क रखेगी ताकि निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणन संकल्पनाओं एवं प्रणालियों में हुए विकास तथा आविष्कारों की जानकारी हासिल की जा सके।

4.4 बी० एम० टी० पी० सी० की मूल्यांकन यूनिट-सतत रूप से (1) भवन निर्माण कारक उत्पादों के प्रतिपादन मूल्यांकन हेतु विशिष्ट विचारों के विश्लेषण तथा संश्लेषण और अन्य देशों में उपयोग में लाई जा रही आकलन विधियों के अध्ययन का काम करेगी (2) भारतीय मानक ब्यूरो, नामी निर्माण एजेंसियों तथा अनुसन्धान एवं विकास संस्थाओं के परामर्श से, समय-समय पर प्रतिपादन मानदण्ड, मूल्यांकन पैरामीटरों तथा परीक्षण विधियों आदि पर तकनीकी निर्देशिकाएं (गाइड) प्रकाशित करेगा। सामान्यतः ये तकनीकी निर्देशिकाएं भारतीय मानक ब्यूरो की सहमति के बिना मौजूदा भारतीय मानकों का विकल्प नहीं होगी।

4.5 मूल्यांकन यूनिट तकनीकी आकलन समिति (टी० ए० सी०) तथा बी० एम० टी० पी० सी० सलाहकार बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। अपने कार्यों को अंजाम देने के लिये ये यूनिट टी० ए० सी० के अध्यक्ष के निर्देशन में काम करेगी।

5. निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्रदायगी की प्रक्रिया

5.1 आवेदन पत्र—प्रतिपादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र का अनुरोध उत्पाद एवं आवेदक विशेष हेतु विकसित फार्म निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा। आवेदन में आवेदक द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी जायेगी।

(क) निर्माता/संस्थापित संगठन के स्वामित्व के ब्यौरे।

(ख) उत्पाद सूचना—स्वामित्व नाम, कोड/विशिष्ट और अभीष्ट, उपयोग, अनुषंगी मदों के ब्यौरे।

(ग) विनिर्माण ब्यौरा—फैक्टरियों, का पता (पते) और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं।

(घ) स्थल अधिष्ठापन प्रक्रियाओं, तकनीकों के आवश्यक ब्यौरे।

(ङ) भारत या अन्य देशों में उपयोग के बारे में पूरे ब्यौरे।

(च) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लेख।

(छ) टेस्ट रिपोर्ट और संगत तकनीकी साहित्य सहित समर्थन में जानकारी।

(ज) भावी उपयोग हेतु निष्पादन के दावों के समर्थन में अपेक्षित अन्य ब्यौरे या दस्तावेज।

(झ) ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव का ब्यौरा, जहां कहीं लागू हो।

(ट) लाइफ साइकल लागत के बारे में सूचना।

(ठ) अन्य सूचना जिसको मूल्यांकन यूनिट द्वारा मांगा जाए।

5.2 आवेदन पर कार्रवाई—आवेदन पर बी० एम० टी० पी० सी० द्वारा अपने मूल्यांकन यूनिट के जरिए कार्रवाई की जायेगी।

5.2.1 सभी निष्पादन पहलुओं का मूल्यांकन किया जायेगा, जिसमें सुरक्षा, अधिष्ठापन, निवास्थता, स्थायित्व, अनुरक्षण, आवेदन का औचित्य/व्यावहारिकता और अन्य आवश्यकताएं भी शामिल हैं। बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सीमा में कार्य करते हुए मूल्यांकन यूनिट द्वारा उत्पाद के अपेक्षित निष्पादन स्तर के मूल्यांकन के लिये प्रयोगशाला और फील्ड दोनों में टेस्ट और प्रक्रिया हेतु एक व्यापक पैकेज तैयार किया जाएगा। इसमें स्थल अनुभवों पर आधारित मूल्यांकन भी शामिल हैं। जहां कहीं जरूरी हो टी० ए० सी० के निदेशानुसार आवेदक को उत्पाद का विशेष अधिष्ठापन और फील्ड ट्रायल्स करना होगा। यदि आवश्यक हो तो विनिर्माण के दौरान उत्पादन सुविधाओं और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन के लिए फैक्ट्री का निरीक्षण किया जाएगा।

5.3 तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी० ए० सी०) द्वारा विचार—मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद, मूल्यांकन यूनिट के आरम्भिक अनुमोदन मिलने और टेस्ट और निष्पादन मूल्यांकन के विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र के प्रपत्र में उत्पाद का परिणाम/डाटा आदि लिखा जाएगा। इस ड्राफ्ट पी० ए० सी० को, आवेदक, टी० ए० सी० के सदस्यों और चुनिंदा नियामक प्राधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को तकनीकी टिप्पणियों के लिए, जैसा कि टी० ए० सी० तय करें, भेजा जाएगा। कोई भी टिप्पणी प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जाएगा और मूल्यांकन यूनिट द्वारा संशोधित मसौदा तैयार किया जाएगा। अनुमोदित निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र (पी० ए० सी०) को मुद्रित किया जायेगा और सभी सम्बद्धों को उपलब्ध कराया जाएगा। पी० ए० सी० पर कार्रवाही की जाएगी और उसे शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा।

5.4 निष्पादन मूल्यांकन प्रमाण-पत्र (पी० ए० सी०)

5.4.1 प्रत्येक उत्पाद और आवेदक के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र तैयार किया जायगा। अन्य बातों के साथ-साथ निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र में अलग-अलग प्रस्तावों के लिए निम्नलिखित सूचना शामिल होगी :—

(क) ब्रांड नाम सहित मूल्यांकित सामग्री/उत्पाद/संघटक/प्रणाली सिस्टम का नाम।

(ख) ध्यान में रखे गए भवन-निर्माण विनियमन।

(ग) तकनीकी विशिष्टता।

(घ) तकनीकी अन्वेषण (जैसे जांच पद्धति तथा मूल्यांकन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया आदि)।

(ङ) जांच/अधिष्ठान/मूल्यांकन आदि में भारतीय मानक ब्यूरो (बी० आई० एस०) द्वारा जारी सम्बद्ध भारतीय मानक और अन्य मानक और कोड यदि कोई हो, का उल्लेख।

(च) सामग्री/संघटक आदि पर भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिह्न होना चाहिए यदि वह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पहले ही प्रमाणित है।

(छ) डिजाइन डाटा।

(ज) अधिष्ठापन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और सावधानियां।

(झ) फील्ड में अनुप्रयोग के लिए उत्पाद को अपनाने हेतु विशेष आवश्यकताएं।

(ट) अनुप्रयोग/उपयोग की सीमाएं।

(ठ) पी० ए० सी० प्रमाणित उत्पाद के उपयोग और उनके अनुरक्षण के लिए क्या पर्यवेक्षण स्टाफ या कर्मियों को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है?

(ड) प्रत्येक पी० ए० सी० में निम्नलिखित शर्तें शामिल की जाएंगी :

(1) पी० ए० सी० धारक को जांच और मूल्यांकन अनुसार विशिष्टिकरणों वाले उत्पाद की आपूर्ति करनी चाहिए।

(2) यदि पी० ए० सी० धारक उस गुणवत्ता/सामग्री (सामग्रियों)/उत्पाद आदि में कोई परिवर्तन करता है, जिसका मूल्यांकन किया गया है या पी० ए० सी० में निर्धारित किसी शर्त, ब्यौरे आदि में परिवर्तन करता है तो उसे पी० ए० सी० का उपयोग तुरन्त बन्द कर देना होगा और टी० ए० सी० के अध्यक्ष को इसके बारे में तत्काल सूचित करना होगा।

(3) पी०ए०सी० धारक गुणवत्ता की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रमाणपत्र में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(4) पी०ए०सी० में ऐसी धारा होगी, जिसके अनुसार पी०ए०सी० में निर्धारित शर्तों के समानुरूप उत्पाद होने की जिम्मेदारी विनिर्माता या संघटक की होगी और बोर्ड केवल जारी किए गए प्रमाण-पत्र में संशोधन या उसकी वापसी के अनुरोध पर ही विचार करेगा।

4.5.2 पी०ए०सी० की वैधता, उत्पादों, संघटकों और पद्धतियों की प्रकृति के आधार पर, सामान्यतः तीन से पांच वर्ष जैसा भी टी०ए०सी० निर्धारित करे, के लिए होगी। इस अवधि के दौरान पी०ए०सी० प्रमाणपत्र धारक में आवश्यक संशोधन या प्रमाणपत्र धारण द्वारा किसी का अनुरोध या अवधि समाप्ति पर नवीकरण करने के लिए समीक्षा करेगा। नवीकरण के लिए पैरा 8 में दिए अनुसार प्रक्रिया

अपनायी जाएगी । जिन विनिर्माताओं को पी०ए०सी० दिया गया है, वह पी०ए०सी० में निर्धारित अपेक्षित मानकों, गुणवत्ताओं और शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे । बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह यथा-निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद प्रमाणपत्र को कभी भी वापस ले सकता है ।

5.4.3 इस योजना के अन्तर्गत प्रमाणपत्र प्रदान करने का आशय नई पद्धतियों एवं उत्पादों के विकास में विश्वास पैदा करने तथा उपयोगकर्ताओं एवं निर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एक व्यवस्थित तकनीकी जांच पड़ताल करना, निष्पादन जांच, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा आवेदनकर्ताओं के द्वारा किए गए दावों के अनुसार जांच करना शामिल है । अगर वह उत्पाद, जिसके सम्बन्ध में निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र दिया गया है, इस पत्र के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उस दशा में भवन निर्माण एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद्, इसके सहमति मंडल अथवा शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय की कोई भी कानूनी देनदारी व जिम्मेवारी नहीं होगी ।

5.4.4 प्रयोगकर्ताओं की शिकायतों पर बोर्ड विचार करेगा । शिकायतों पर कार्रवाई बोर्ड प्रबन्धक मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाएगी ।

5.5 शुल्क

5.5.1 पी०ए०सी० प्रमाणन सेवाएं उपयुक्त शुल्क की अदायगी पर उत्पाद विनिर्माताओं, डिजाइनरों, विकासकों, व्यापार संघों, अनुसधान एवं विकास संस्थाओं आदि को उपलब्ध होगी । शुल्क की राशि का निर्धारण प्रयोगशाला और फील्ड अपेक्षित जांच दोनों के लिए और उपयुक्त मूल्यांकन के प्रकार सहित ऐसी प्रक्रिया की अवधि के आधार पर किया जाएगा ।

5.5.2 प्रमाणन और फील्ड अनुप्रयोग से प्राप्त फील्ड-बैक के संग्रहण सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु शुल्क ढांचा अन्वेषण प्रक्रिया पर निर्भर करेगा और बी०एम० टी०पी०सी० के सहमति बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगा ।

आवेदक द्वारा दिए जाने वाले आरम्भिक कुल शुल्क, वार्षिक शुल्क और नवीकरण शुल्क की सूचना आवेदक को मूल्यांकन आरम्भ करने से पहले दे दी जाएगी । पी० ए० सी० धारक या बोर्ड द्वारा पी०ए०सी० में कराए जा रहे संशोधन के लिए अलग से शुल्क वसूल किया जाएगा । शिकायतों की जांच के लिए प्रयोगशाला और फील्ड टेस्टिंग हेतु प्रभार, यदि कोई हो तो वह पी० ए० सी० धारक द्वारा दिया जाएगा ।

5.6 मूल्यांकन एजेंसियां/जांच/गुणवत्ता निर्धारण प्रयोगशालाएं एवं जांच केन्द्र

5.6.1 स्कीम के प्रचालन में बी०एम०टी०पी०सी० मूल्यांकित किए जाने वाले भवन निर्माण उत्पादों की भिन्नता के आधार पर मूल्यांकन एजेंसियों के रूप में वर्गीकृत जांच प्रयोगशालाओं और संस्थानों (टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित) की एक मान्यता प्राप्त सूची बनाएगा । जब कभी आवश्यक हो विद्यमान संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया जाएगा । मूल्यांकन यूनिट निष्पादन मूल्यांकन प्रमाणपत्र हेतु जांच परिणाम प्राप्त करने के लिए बाहरी स्त्रोतों जैसे नेशनल टेस्ट हाऊस, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों (विश्वविद्यालयों/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि) और अलग-अलग विनिर्माताओं का अधिकतम उपयोग करते हुए नयी जांच सुविधाओं को विकसित करने का प्रयास करेगा ।

5.7 उपयोगकर्ता को जानकारी

शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् वह सभी उपयुक्त कदम उठाएंगे जिसके परिणामस्वरूप देश भर में विस्तृत स्तर पर इस योजना की विशाल जानकारी अभियान को चालू किया जा सके जिसमें उपयोगकर्ता को नई प्रौद्योगिकियां एवं निर्माण सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा जनसाधारण तक सूचना का प्रसार शामिल होगा ।

5.8 आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी एक-एक प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित अधिकारियों/संस्थाओं को भेजी जाए ।

जे० पी० मूर्ति
संयुक्त सचिव

अनुबन्ध 1

बी० आई० एस० प्रमाणीकरण और पी० ए० सी० एस० के मध्य अन्तर कार्रवाई

क्र० सं०	प्रस्ताव विषय	क्या भारतीय मानक मौजूद है	क्या आई० एस० आई० मार्क के अंतर्गत आता है	क्या आई० एस० नये अनुप्रयोगों पर अतिरिक्त दावे का प्रस्ताव ले	बी० एम० टी० पी० सी० द्वारा कार्रवाई
1.	सामग्री/उत्पादन/घटक	हां	हां	नहीं	आवेदन रद्द
2.	वही	हां	हां	हां*	बी०आई०एस० के साथ संपर्क के पश्चात् प्रक्रिया
3.	वही	हां	नहीं	नहीं	पी०ए०सी० के लिए प्रक्रिया@
4.	वही	नहीं अथवा अंतिम	—	—	पी०ए०सी० की प्रक्रिया
5.	प्रणाली/तकनीक	हां/नहीं	नहीं	हां/नहीं	पी०ए०सी० की प्रक्रिया

*अतिरिक्त दावे निष्पादनोन्मुखी होने चाहिए ।

@ साथ-साथ भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से संपर्क करने के लिए सलाह दी जाएगी । एक बार भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणीकरण लाइसेंस दिए जाने पर करार प्रमाणपत्र की पुनरीक्षा नहीं की जाएगी ।

टिप्पणी :

1. पी० ए० सी० एस० के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो यथा आवश्यक भारतीय मानक की पुनरीक्षा करेगा ।
2. पी०ए०सी० के तहत जारी किए गए सभी प्रमाणपत्र भारतीय मानक ब्यूरो को भेजे जाएंगे जो ऐसे उत्पादन जिन्हें आवश्यक समझने के लिए मानक मार्क के उपयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाण जारी करने पर विचार करेगा ।
3. पी०ए०सी०एस० के तहत प्रमाणित उत्पादन/प्रणाली के उपयोग की प्रतिपुष्टि संबंधित भारतीय मानकों के प्रतिपादन/पुनरीक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को दिया जाएगा ।

अनुबंध—2

बी०एम०टी०पी०सी०—सहमति बोर्ड

— निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सी०आई०डी०सी०) का नामिती ।

— इंडियन बिल्डर्स कांग्रेस (आई०बी०सी०) का नामिती ।

— इंजीनियरी संस्थान (भारत) का नामिती ।

— वास्तुकला परिषद् का नामिती ।

— महानिदेशक, विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान (सी० एस० आई० आर०) का नामिती ।

— शहरी मंत्रालय का नामिती ।

— अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी०पी०सी०बी०) का नामिती

— महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी०पी० डब्ल्यू०डी०) का नामिती ।

— महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) का नामिती ।

— राष्ट्रीय परिषद् सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद् (एन०सी०बी०एम०) सीमेंट उत्पादक संघ (सी०एम०ए०),

— सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी०एस०यूज) का नामिती ।

— दो राज्य लोक निर्माण विभागों से बारी-बारी से दो नामिती ।

— शासन से इतर 1 प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर ।

— शासन से इतर 1 प्रतिष्ठित वास्तुकार ।

— भवन निर्माण सामग्री और तकनीकी संवर्धन परिषद् से संबद्ध कार्य पर आधारित एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नामिती ।

— भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियर एकेडमी का नामिती ।

— कन्फडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्रीज (सी०आई०आई०) फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री (एफ० आई० सी० सी० आई०), एसोसिएटेड

चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री ऑफ इंडिया (ए० एस० एस०ओ०सी०एच०ए०एम०) का बारी-बारी से एक नामिती ।

— महानिदेशक—गणना आश्वासन, महानिदेशक आपूर्ति व निपटान (डी०जी०एस० एंड डी०) का नामिती ।

बोर्ड के सदस्य सचिव को शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा । नामित सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में बी०एम०टी०पी०सी० के कार्यकारी निदेशक स्थानापन्न सदस्य सचिव होंगे ।

जब कभी भी आवश्यक समझे जाने पर बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०) आवास और नगर विकास निगम (हुडको) राष्ट्रीय आवास बैंक (एन०एच०बी०) आदि जैसे वित्तीय संस्थानों से प्रतिनिधि/नामित सदस्य को आमंत्रित कर सकता है ।

बोर्ड के अध्यक्ष को शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा ।

अनुबंध—3

तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी०ए०सी०) का गठन

तकनीकी मूल्यांकन समिति में एक अध्यक्ष और 21 सदस्य होंगे जिसमें से 10 स्थायी होंगे और 11 आमंत्रित सदस्य, इस प्रकार होंगे—निम्नलिखित प्रत्येक संगठन से एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि होगा । समिति के संविधान की पुनरीक्षा भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् का प्रबंधन बोर्ड प्रत्येक तीसरे वर्ष के वर्ष के पश्चात करेगा । तकनीकी मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष बोर्ड का सदस्य सचिव होगा । नामित सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में बी०एम०टी०पी०सी० के कार्यकारी निदेशक स्थानापन्न अध्यक्ष होंगे ।

क. स्थायी सदस्य

1. निम्नलिखित द्वारा नामिती

1. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बी० ए० आई०) ।
2. भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद् (बी०एम०टी०पी०सी०) ।
3. भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) ।
4. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी०पी०डब्ल्यू०डी०) ।
5. विज्ञान और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् (सी०एस० आई०आर०) ।
6. उप महानिदेशक—गणना आश्वासन, (डी०जी०एस० एंड डी०) ।
7. भारतीय वास्तुकार कला संस्थान (आई०ए०) ।
8. इंजीनियर संस्थान (भारत) (आई०ई०आई०) ।
9. सैन्य इंजीनियर सेवा (एम०ई०एस०) ।
10. सी०आई०आई०/एफ०आई०सी०सी०आई०/ए०एस० एस०ओ०सी०एच०ए०एम०/एन० ए० आई० सी० का एक प्रतिनिधि बारी-बारी से ।

ख. आमन्त्रित सदस्य

प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष, तकनीकी मूल्यांकन समिति के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित अधिकतम 11 और सदस्यों को तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाएगा ।

निर्माण एजेंसी	3
अनुसंधान और विकास संस्थान	2
प्रैक्टिसिंग/कन्सल्टिंग इंजीनियर्स/आर्किटेक्ट्स	2
म्युनिसिपल कारपोरेशन/स्टेट पी० डब्ल्यू०डी०	2
हाउसिंग बोर्डस/डवलपमेंट अथोरिटीज	2
शैक्षणिक संस्थान (एकेडेमिक इन्सटीट्यूशन)	1
आवास वित्त संस्थान (हुडको/एन एच डी बी आई/आई एफ सी आई)	1

सी आई आई	—भारतीय उद्योगों का संघ
एफआईसीसीआई	—फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
एएसएसओसीएचएएम	—एसोसिएटेड चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया
एनएसआईसी	—राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
हुडको	—आवास और नगर विकास निगम
एन एच बी	—राष्ट्रीय आवास बैंक
आई डी बी आई	—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईएफसी आई	—भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 1999

संकल्प

सं. एफ. 21-6/99-यू.-5—राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, परिषद् के समग्र शासन और नियमों के नियम 4 के प्रावधान के अनुसार भारत सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्य नियुक्त करती है :—

1. श्री नानाजी देशमुख,
   दीनदयाल अनुसंधान संस्थान,
   7 ई स्वामी रामतीर्थ नगर,
   रानी झांसी मार्ग, नई दिल्ली ।

2. श्री महेश शर्मा,
अध्यक्ष
खादी और ग्राम्य उद्योग आयोग

3. श्री माधव गाडगिल,
भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर ।

4. श्री जे. एल. बजाज,
मद्रास ।

5. प्रो. एस. आर. हाशिम,
सदस्य
योजना आयोग ।

6 से 9. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात और हरियाणा राज्य सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि ।

10. सचिव,
माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ।

11. विशेष सचिव,
(तकनीकी शिक्षा)
माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विभाग ।

12. सचिव (कृषि)
कृषि मंत्रालय
कृषि भवन ।

13. सचिव (व्यय)
वित्त मंत्रालय

14. सचिव (ग्रामीण विकास)
ग्रामीण विकास मंत्रालय

15. महानिदेशक
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राज्य सरकारों को भेजी जाए ।

चम्पक चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT & POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 5th November 1999

No. I-16011/5/99-H.II

PERFORMANCE APPRAISAL CERTIFICATION SCHEME

1. Introduction

1.1 Whereas the building sector is progressively being overwhelmed by new materials, products, components and construction systems (hereinafter referred to as product) as alternatives and/or substitutes for the traditional ones and it is becoming increasingly necessary to evaluate the performance of these new products before promoting their use in practice.

1.2 Whereas these new products are not covered by Indian Standard, specifications and codes of practice and sufficient feed-back is needed before formulation of Indian Standards.

1.3 Whereas there is no recognised national mechanism to provide guidance for the informed choice to manufacturers and users to encourage and facilitate use of new developments, innovative building materials, components, products, units, items, elements of construction and assemblies in the building construction sector.

1.4 Whereas a systematic feed-back on users' response and experience with regard to performance-in-use is necessary to formulate standards.

1.5 Whereas there is a need to create confidence on innovations and safeguard the interests of both the users and manufacturers by issuing third party certification based on systematic technical investigations, performance testing, independent appraisal, assessment and evaluation based on performance-in-use, has been developed and is in practice for several decades in other countries.

1.6 Whereas it has been well established that the performance appraisal certification not only improves the level of application of innovative products in building and construction sector but greatly helps in promoting non conventional building products by disseminating experience, know-how and information amongst various stakeholders.

1.7 Now therefore the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation, Government of India has authorised the Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC) to issue Performance Appraisal Certificates (PAC) giving independent opinion of the fitness for intended use of building materials, components, products, units, items, elements of construction and assemblies in the building construction sector. The Certificates will clearly spell out the conditions under which the products were evaluated for agreed performance in given situations and the details required to be adhered to during the construction or assembly.

1.8 Assessment under this Scheme is not mandatory. Manufacturers and suppliers of new building materials/components/products/construction systems would apply for the certificate on a purely voluntary basis.

2 BMTPC Board of Agreement

2.1 The BMTPC Board of Agreement (hereinafter referred to as the Board) functioning under the powers delegated to it by the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation, Government of India will advise on the policy and procedures to be followed by BMTPC for issuing the Performance Appraisal Certificates. The Board will serve the building and construction industry by providing authoritative technical approvals and appraisal certificates of fitness for the intended use of a building product in varying situations.

2.2 With the help of established and approved procedure, the Board will facilitate exploitation and acceptance of the innovative and non-conventional alternative products for the benefit of designers, specifiers, users, on one hand and the manufacturers and suppliers of such products on the other.

2.3 The Board would be responsible for evolving policies, procedures and the structure of fee for different services that will serve the interest of both users and manufacturers of

products. The criteria for issue of Performance Appraisal Certificates as agreed to between the Bureau of Indian Standards and Building Materials & Technology Promotion Council as at Annex-I will be kept in view.

2.4 The Board in its constitution (Annex-II) will be representative of decision makers from related Central, State and local bodies, R&D organisations, chambers of commerce and industry, academic institutions, professional bodies, Construction Industry Development Council (CIDC), Indian Buildings Congress (IBC) and Central Pollution Control Board (CPCB) etc. The Board may decide to undertake other activities to enhance promotion and adoption of innovative and new products.

2.5 The Board would concern itself mainly with the policy and strategy issues while the detailed technical assessment and evaluation for certification and preparation of Certificates would be dealt with by the Technical Assessment Committee which would be accountable to the Board. All Certificate holders will be registered with the Board. The Certificate holders with inform the Board of their distributors/licensees whenever appointed by them. A list of these will be available with the Board.

2.6 The BMTPC Board of Agreement for its operations will be responsible to the Board of Management of BMTPC. The President and the Member Secretary of the BMTPC Board of Agreement will be nominated/appointed by the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation for a term of three years.

3. Technical Assessment Committee (TAC)

3.1 A Technical Assessment Committee (TAC) consisting of a Chairman and experts from 10 organizations as permanent members and an additional 11 experts as invitees on proposal to proposal basis from construction agencies, research and development institutions, professionals, local bodies and academic institutions will assist the Board in its activities. The composition of TAC is given in Annex-III.

3.2 TAC will work out methods to assess the products for their performance in relation to its intended use satisfying requirements of safety (structural, fire, health and personal), durability, life cycle cost, energy conservation and environmental considerations. For carrying out the assessment of every proposal submitted and accepted for processing the TAC will finalise criteria and will work out the necessary test/evaluation methods in relation to various attributes and criteria decided. These will take into account relevant building regulations, stipulation of National Building Code and the related national standards. Other available specifications, test methods, methods of assessment and relevant guidelines in published literatures and the information provided by the applicant will be considered.

3.3 TAC will undertake the following major functions :

(i) receive through Appraisal Unit of BMTPC, review and process proposals for technical assessment, evaluation and approval of building products.

(ii) hold discussions with applicants who may be manufacturers and suppliers of products and review the documents relating to test Certificates, feed-back from other countries, conformity to standards from India or from other countries as may be applicable to Indian conditions, which would be submitted by the applicant in support of his claims of suitability for different applications in construction works.

(iii) analyse technically the information/data supplied by the applicant.

(iv) formulate performance requirements/criteria, testing and evaluation procedures generally and for each proposal as decided in consultation with related experts.

(v) direct Appraisal Unit to forward the proposals for testing/characterisation and field evaluation to specified laboratory/test house/centre and user agency designated as Evaluation Agency/Appraisal Agency/Testing Unit alongwith performance requirements/criteria/testing procedures and evaluation procedures as necessary.

(vi) appoint appropriate agency to undertake feed-back study on the building/project sites where the products have been actually used/installed for use.

(vii) consider the draft Appraisal Certificates submitted by the Appraisal Unit based on the results of investigations as at (v) above, indicating suitability under conditions of use, design parameters etc.

(viii) hold discussions with the manufacturer/supplier, applicant, Building Regulation Authorities on draft Appraisal Certificate, before finalising the contents of the Appraisal Certificates.

(ix) approve the final Appraisal Certificate prepared by the Appraisal Unit.

(x) arrange for publication, distribution, and publicity of Performance Appraisal Certificates.

(xi) provide information to the Bureau of Indian Standards in the development of Indian Standards for building materials/components/product/techniques particularly those incorporating performance requirements and to revise existing standards, if required.

(xii) assess training needs in cases of specialised techniques/systems coming up for Certification and advise appropriate organizations suitably.

The TAC can delegate any of its function to the Appraisal Unit.

4. Appraisal Unit

4.1 To achieve the objective of the scheme and to facilitate its operation, the BMTPC will have an "Appraisal Unit" in its establishment, which will be responsible for implementing the scheme in the framework of evaluation criteria and parameters as laid down by the Technical Assessment Committee and the priorities it should attach to various essential aspects of performance requirements of the product in the light of potential applications in different geo-climatic conditions.

4.2 The Appraisal Unit will take first decision as to the suitability of the subject for assessment as requested or forwarded by an applicant.

4.3 The Appraisal Unit will keep close liaison with the research laboratories, BIS, construction agencies, test houses, product and component manufacturers, building regulation authorities trade/research institutions/associations and such other related organisations. It will also keep liaison with International organisations like Comite Euro-International due Beton (CEB), Switzerland; International Council for Building Research Studies and Documentation (CIB), UK; Building Research Establishment (BRE), UK and certifying agencies in other countries to take cognisance of developments and advancements achieved in the practice of performance appraisal certification concepts and systems.

4.4 The Appraisal Unit in BMTPC will (i) continuously engage in analysing and synthesising the expert opinions and studying the assessment methods being used in other countries for evaluating performance of building construction related products, (ii) will from time to time bring out and publish Technical Guides on performance criteria, appraisal parameters and test methods etc. in consultation with BIS, leading construction agencies and R&D institutions. Normally these Technical Guides will not replace existing Indian Standards unless agreed to by BIS.

4.5 The Appraisal Unit will act as Secretariat to TAC and the BMTPC Board of Agreement. In discharge of its functions it will work under the directions of the Chairman, TAC.

5. Procedure for Providing Performance Appraisal Certificate

5.1 Application—Application for request for a Performance Appraisal Certificate shall be made in a prescribed proforma specifically developed for a product and applicant. The

applicant shall provide the following information in the application.

(a) Details of ownership of manufacturing/installing organisation.

(b) Product information—proprietary name, specification and intended use, details of ancillary items.

(c) Manufacturing details—address(es) of factories and quality control facilities.

(d) Necessary details for site installations, procedures techniques.

(e) Case histories of use in India or other countries.

(f) Reference to national and international standards.

(g) Supporting data including test reports and relevant technical literature.

(h) Other details or documents required to support the claims of performance for intended uses.

(i) Details of energy conservation, environmental impact where applicable.

(j) Information on life cycle cost.

(k) Other information as may be requested by the Appraisal Unit.

5.2 Processing of Application—The Application will then be processed by BMTPC through its Appraisal Unit.

5.2.1 All performance aspects will be assessed including safety, installation, habitability, durability maintenance, feasibility/practicability of application and other requirements. While working in the framework of guidelines issued by the Appraisal Unit to apprise that the product will meet dures both in the laboratory and the field will be formulated by the Appraisal Unit to appraise that the product will meet the required levels of performance. It will also include evaluation made of site experiences. Where necessary special installation of the product and field trials will have to be undertaken by the applicant as may be directed by TAC. If necessary the factory will also be inspected to assess production facilities and quality assurance mechanism adopted during manufacturing.

5.3 Consideration by the Technical Assessment Committee—After the proposal submitted for appraisal has the initial approval of the Appraisal Unit and has passed through the various stages of test and performance appraisal, the results/data etc. will be compiled in a format of Performance Appraisal Certificate suitable for the product. This draft PAC will be referred to the applicant, members of the TAC and to selected regulatory authorities and other experts, consultants for technical comments as may be decided by TAC. Any comments received will be considered, a revised draft prepared by the Appraisal Unit and put up for consideration and approval of the TAC. The approved PAC will be printed and made available to all interested. The PAC will be processed and issued against a fee.

5.4 Performance Appraisal Certificate (PAC)

5.4.1 A Performance Appraisal Certificate will be worked out for each product and applicant. Amongst other items, a Performance Appraisal Certificate will include the following as may be applicable to individual proposals

(a) Name of materials/product/component system technique assessed including brand name.

(b) The Building regulations taken into account.

(c) Technical specifications.

(d) Technical investigations (such as Test methods and procedures of appraisal used, etc).

(e) Reference to related Indian Standards issued by the Bureau of Indian Standards (BIS), and other standards and codes, if any, used in testing/installation/appraisal etc.

(f) That the material/component etc. should carry the BIS standard mark if already certified by BIS.

(g) Design data.

(h) Methods and precautions to be followed in installation.

(i) Special requirements for maintenance to enable adoption of the product for field application.

(j) Limitations in application/use.

(k) Needs for any specialized training of supervisory staff or workers with regard to use of PAC certified product and their maintenance.

(l) Following conditions will be included in each PAC.

(i) The PAC holder should supply the product to the specifications to which it has been tested and appraised.

(ii) If the PAC holder makes any changes in the quality, material(s)/product etc. on which the appraisal has been made or changes any of the conditions, details etc. stipulated in the PAC, he should immediately stop using the PAC and notify the Chairman TAC immediately.

(iii) The PAC holder shall follow guidelines for quality assurance as stipulated in the Certificate.

(iv) The PAC will essentially have a clause that the responsibility for conformity to conditions specified in the PAC will lie with the manufacturer or supplier and the Board will only consider requests for modification or withdrawal of the Certificate issued.

5.4.2 The PAC will normally be valid for a period of three to five years as may be decided by TAC, depending upon the nature of products, components and systems. During this period the PAC shall be reviewed for modification, if any, and modifications if requested by the Certificate holder and for renewal at the end of the validity period. At the time of renewal procedures laid down in 5 as applicable shall be followed. Manufacturers awarded PAC shall ensure maintenance of the required standards, qualities and conditions stipulated in the PAC. The Board reserves the right to withdraw the Certificate at any time after following due process as laid down by the Board.

5.4.3 The certificates under the Scheme will be granted with a view to create confidence in innovations and new products to safeguard the interest of the users and manufacturers based on systematic technical investigations, performance testing independent appraisal by experts acting in good faith within the limitations of appraisal on the basis of claims made by the applicant. The Performance Appraisal Certificate issued does not devolve any legal liability on the Building Materials and Technology Promotion Council, its Agreement Board and the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation, in case the product does not perform as stipulated in the Certificate.

5.4.4 Complaints from users will be considered by the Board. Procedure for dealing with complaints will be as laid down by the Board of Management.

5.5 Fee :

5.5.1 The PAC Certification Sevices will be available to product manufacturers, designers, developers, trade associations, R & D institutions etc. on payment of appropriate fee. The amount of fee will be determined based on the range of tests required and the type of assessment considered appropriate, both in the laboratory and the field including the duration of such process.

5.5.2 The fees-structure for rendering the different services including the certification and collection of feed-back from field application will depend upon the subject of investigation and will be as approved by the Board of Agreement of BMTPC. The initial total fee, annual fee and renewal fee to be paid by the applicant will be intimated to the applicant in advance before the appraisal is undertaken. A separate fee will be charged for modification to PAC initiated by the PAC holder or the Board. Charges, if any, for

laboratory and field testing for investigating complaints will have to be paid by the PAC holder.

5.6 Evaluation Agencies/Testing/Characterisation Laboratories & Centres.

5.6.1 In the operation of the scheme, the BMTPC will maintain a recognised list of testing laboratories and institutions (approved by TAC) classified as evaluation agencies depending upon the diversity of the building products to be assessed. The facilities as available in the existing institutions will be utilized as and when required. The Appraisal Unit will endeavour to develop new test facilities while making the maximum use of external sources like National Test House, R & D Organisations, Academic Institutions (Universities/IITs etc.) and individual manufacturers in obtaining test results for the Performance Appraisal Certificate.

5.7 User Awareness :

The Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation and the Building Materials and Technology Promotion Council shall take appropriate measures to launch a country wide mass awareness campaign, including encouraging user groups and dissemination of information to the public.

5.8 Order :

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

J. P. MURTY
It. Secy.

ANNEX-I

INTERACTION BETWEEN BIS CERTIFICATION AND PACS

Sl. No.	Proposal Subject	Whether Indian Standard Exists	Whether Covered by ISI Mark	Whether Proposal has Additional Claims over IS/New Applications	Action by BMTPC
1.	Material/ Product/ Component	Yes	Yes	No	Reject ap lication
2.	,,	Yes	Yes	Yes*	Process after consultation with BIS
3.	,,	Yes	No	No	Process for PAC@
4.	,,	No or Tentative	—	—	Process for PAC
5.	Systems/ Techniques	Yes/No	No	Yes/No	Process for PAC

*Additional claims should be performance oriented.

@Will be advised to contact BIS simultaneously for BIS Cerification. Agreement certificate will not be renewed once BIS certification licence is granted.

Note :

1. BIS will review relevant Indian Standards as necessary, after issue of certificates under PACS.
2. All certificates issued under PACS will be forwarded to BIS who may consider issue of BIS certification for use of its standard mark also for such products when considered necessary.
3. Feed-back from use of products/systems certified under PACS will be provided to BIS for formulation/review of relevant Indian Standards.

ANNEX-II

BMTPC BOARD OF AGREEMENT

* Nominee of Construction Industry Development Council (CIDC)

* Nominee of Indian Buildings Congress (IBC)

* Nominee of Institution of Engineers (India)

* Nominee of Council of Architecture

* Nominee of Director General, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)

* Nominee of Ministry of Industries

* Nominee of Chairman, Central Pollution Control Board (CPCB)

* Nominee of Director General, Central Public Works Department (CPWD)

* Nominee of Director General, Bureau of Indian Standards (BIS)

* Nominee of National Council for Cement and Building Materials (NCBM)/Cement Manufacturers Association (CMA)/Public Sector Undertakings (PSUs)

* 2 nominees by rotation from two State Public Works Departments

* 1 Eminent Civil Engineer from outside Govt.

* 1 Eminent Architect from outside Govt.

* Nominee of one Indian Institute of Technology based on relevance of work to BMTPC

* Nominee of Indian National Academy of Engineers

* One Nominee of Confederation of Indian Industries (CII)/Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)/Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHEM) by rotation

* Nominee of the Director General-Quality Assurance, Director General of Supply & Disposals (DGS&D)

The Member Secretary of the Board will be appointed by Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation for a term of not less than 3 years. The Executive Director, BMTPC will be the officiating Member Secretary of the Board in the absence of a nominated Member Secretary.

The President of the Board may invite the representative/nominee from financial institutions like Industrial Development Bank of India (IDBI), Industrial Finance Corporation of India (IFCI), Housing and Urban Development Corporation (HUDCO), National Housing Bank (NHB), etc. whenever considered necessary.

The President of the Board will be nominated by the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation, Govt. of India for a term of three years.

ANNEX-III

COMPOSITION OF

TECHNICAL ASSESSMENT COMMITTEE (TAC)

The TAC shall consist of a Chairman and 21 members out of which 10 will be permanent and 11 invitee members as follows, one expert representative each from the following organisations. The constitution of the Committee will be reviewed after every three years by the Board of Management of the Building Materials and Technology Promotion Council. The Member Secretary of the Board will be Chairman of TAC. In the absence of the Member Secretary, Executive Director, BMTPC will officiate.

A. Permanent Members :

Nominees of :

1. Builders Association of India (BAI)
2. Building Materials & Technology Promotion Council (BMTPC)
3. Bureau of Indian Standards (BIS)
4. Central Public Works Department (CPWD)
5. Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)
6. Dy. Director General-Quality Assurance, DGS&D
7. Indian Institute of Architects (IA)
8. Institution of Engineers (India) (IEI)
9. Military Engineering Services (MES)
10. One representative of CII/FICCI/ASSOCHAM/NSIC by rotation.

B. Invitee Members :

Depending upon the proposals to be considered a maximum of 11 more members as follows may be invited for the meeting of TAC, as may be decided by Chairman, TAC.

Construction Agencies	3
Research and Development Institutions	2
Practising/consulting Engineers/Architects	2
Municipal Corporations/State PWD's/Housing Boards, Development Authorities	2
Academic Institutions	1
Housing Finance Institutions (HUDCO/NHB/IDBI/IFCI)	1

CII—Confederation of Indian Industries

FICCI—Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry

ASSOCHAM—Associated Chambers of Commerce and Industry of India

NSIC—National Small Industries Corporation

HUDCO—Housing and Urban Development Corporation

NHB—National Housing Bank

IDBI—Industrial Development Bank of India

IFCI—Industrial Finance Corporation of India

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 11th November 1999

RESOLUTION

No. F. 21-6/99-U.S.—In accordance with the provision of Rule 4 of the Memorandum of Association and Rules, 1995 of National Council of Rural Institute, Government of India hereby nominates the following as Members of the Council with immediate effect for a period of 3 years :

(1) Shri Nanaji Deshmukh
7-E, Deendayal Research Institute,
Swami Ram Tirath Nagar,
Rani Jhansi Marg,
New Delhi.

(2) Shri Mahesh Sharma,
Chairman,
Khadi and Village Industries Commission.

(3) Shri Madhav Gadgil,
Indian Institute of Science,
Bangalore.

(4) Shri J. L. Bajaj,
Madras.

(5) Prof. S. R. Hashim,
Member,
Planning Commission.

(6 to 9) a representative each of the State Governments of Arunachal Pradesh, Goa, Gujarat and Haryana.

(10) Secretary,
Deptt. of Secondary Education and Higher Education,
Ministry of Human Resource Development.

(11) Special Secretary,
(Technical Education),
Deptt. of Secondary Education and
Higher Education.

(12) Secretary (Agriculture),
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhawan.

(13) Secretary (Expenditure),
Ministry of Finance.

(14) Secretary,
Department of Rural Development,
Ministry of Rural Development.

(15) Director General,
Indian Council of Agricultural Research.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general informaition.

Ordered also that a copy of the Resolution may be sent to State Governments.

CHAMPAK CHATTERJI, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन नियन्त्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi, 1999